[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

महिला को हम एक भी कानून देने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी तक उस के विवाह के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने के लिये तैयार नहीं उस को कोई हक देने के लिये तैयार नहीं। ससुर जिन्दा है, मर्द मर जाता है तो उस की बेवा के वास्ते कोई चारा नहीं है मुसलिम ला में। उस को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उस के पास इस के अलावा कोई तरीका नहीं है कि या तो वह भीख मांगें या दूसरी शादी कर ले। उस के वास्ते क्यों कानून नहीं बनाया जाता है। क्यों हम डर रहे हैं कि फलाना आदमी या ढिकाना आदमी नाराज हो जायेगा।

अन्त में मैं दो वाक्य और कहना चाहता हूं भाषा नीति के सम्बन्ध में। हम को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम ने ज तक संस्कृत को प्रोत्साहन देने के वास्ते जो कोशिश करनी चाहिये थी, वह नहीं की। इजराइल ने मरी हुई भाषा हिब्रू को जिन्दा कर के सारे मुल्क में फैला दिया लेकिन हम संस्कृत को नहीं फैला सकते। इसी तरह से सिंधियों की भाषा सिंधी है। सिंधी लोग हमारे वास्ते मर गये, सिंध के हम ने टुकड़े किये, उन को यहां बुलाया, लेकिन उन की भाषा को हम ने अभी तक कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इस की ओर तवज्जह देने के लिये इस अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री हेडा साहब ने रक्खा है उस का मुझे दिलसोजी के साथ अनुमोदन तो करना ही होगा।

14.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

Fifty-fifth Report

Shri A. S. Alva (Mangalore): Sir, I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th February, 1965."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th February, 1965."

The motion was adopted.

14.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Article* 368)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं उक्त विधयक को पेश करता हूं।

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19-2-65.